


राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प. 9(14)गृह-5/2020

जयपुर, दिनांक : 15.03.2022


आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18.03.2020 द्वारा राज्य में COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु यातायात पुलिस द्वारा Breath Analyser का उपयोग नहीं किये जाने पर रोक लगाई गई थी। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त आदेश को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

आज्ञा से,

(कैलाश चन्द मीना)
शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात, राजस्थान, जयपुर।
7. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
9. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
10. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6) विभाग विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।


(मुकेश पारीक)
शासन उप सचिव